# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**निगरानी संख्या – 439/2013/उदयपुर**

अलर्ट संस्थान,106,ओ रोड भूपालपुरा जरिये संस्थापक
श्री बालकृष्ण गुप्ता पुत्र स्व. श्री शान्तीस्वरूप गुप्ता निवासी
106, ओ रोड भूपालपुरा, उदयपुर .....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक–गोगून्दा जिला उदयपुर
2. श्री मोहन लाल पुत्र लखा, निवासी गोगून्दा चारियाखेडी जिला उदयपुर

.....अप्रार्थीगण.

**एकलपीठ**
**श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष**

**उपस्थित : :**

श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व की ओर से.
कोई उपस्थित नहीं .....अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 22/04/2015**

## निर्णय

यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 विरूद्ध निर्णय विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर दिनांक 30.07.2012 प्रस्तुत किया है।

वकील प्रार्थी निगरानीकर्ता श्री ईश्वर देवडा एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री जमील जई उपस्थित। जिन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य बताते हुये कहा कि अप्रार्थी श्री मोहन लाल ने अपने स्वामित्व की भूमि मौजा गोगून्दा चारियाखेडी पटवार मण्डल गोगून्दा में स्थित खाता संख्यया 15 के खसरा नम्बर 257 व 258 कुल रकबा 0.0800 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी को 30,000/– रू. में दिनांक 25.08.2005 को विक्रय किया एवं विक्रय पत्र वास्ते पंजीयन उप पंजीयक, गोगून्दा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर उप पंजीयक ने प्रश्नगत कृषि भूमि की मालियत 31,500/– रू. होता मानते हुये तदानुसार मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क वसूल कर दस्तावेज बाद पंजीयन दिनांक 25.08.2005 को प्रार्थी संस्थान को लौटा दिये। उनका कहना है कि उक्त दस्तावेज पंजीयन के लगभग छः वर्ष बाद आडिट रिपोर्ट के आधार पर उप पंजीयक द्वाा प्रश्नगत कृषि भूमि को

वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ क्रय किया जाना मानते हुये प्रश्नगत दस्तावेज में वर्णित भूमि की मालियत 20,22,880/– रू. जिस पर मुद्रांक कर 01,61,830/– रू. एवं पंजीयन शुल्क 20,229/– रू. देय होना माना और कुल 01,79,244/– रू. वसूली योग्य होना मानते हुये कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर को रेफरेन्स प्रेषित कर दिया। उनका कहना है कि कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी को जरिये समन तलब किया जिस पर प्रार्थी ने स्वयं उपस्थित हो कर विस्तृत जवाब दिनांक 01.08.2011 को प्रस्तुत कर कथन किया कि अलर्ट संस्थान राजस्थान राजस्थान सोसायटी एक्ट 1958 के तहत् मार्च 1992 में पंजीकृत संस्थान है और अपने उद्देश्यों के अनुरूप किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करने पर उनमें लाभ कमाना निहित नहीं है। समस्त कार्य बिना किसी लाभ के जनहित में सम्पादित किये जाते है। संस्थान गत 17 वर्षो से गोगून्दा तहसील में गरीब, आदिवासियों एवं वंचित समुदाय के लोगों के साथ उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास के साथ साथ क्षैत्र में मुख्य रूप से पर्यावरणीय सुधार के साथ राष्ट्रीय महत्व के कार्य कर रही है। संस्थान ने कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर को बताया कि उनके उद्देश्यों के अनुरूप ही वर्ष 2005 में अप्रार्थी संख्या दो से 0.0800 हैक्टर कृषि भूमि क्रय की गयी। उक्त भूमि पर संस्थान जनहितार्थ पर्यावरण सम्बन्धी गतिविधियां संचालित की जिसमें वृक्षारोपण व नर्सरी आदि का काम किया। वकील प्रार्थी का यह भी कहना है कि उक्त संस्थान का मौका मुआयना पटवार मण्डल गोगून्दा एवं ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा भी किया गया और उनकी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि क्रय शुदा भूमि पर किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं चलाई जारही है। वकील प्रार्थी का कथन है कि दिनांक 01.08.2011 को उन्होने उपरोक्तानुसार कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर के न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया और इसके उपरान्त अग्रिम कोई तारीख नहीं दी गयी व आगामी कार्यवाही बाद में सूचित करने हेतु कहा गया। तदुपरान्त लगभग डेढ साल तक न्यायालय की ओर से इस प्रकरण के सम्बन्ध में कोई जानकारी या सूचना नहीं दी गयी। इसके बाद संस्थान को पता चला कि न्यायालय ने अचानक बिना पूर्व सूचना के दिनांक 30.07.2012 को निर्णय पारित किया जिसमें रेफरेन्स को स्वीकार किया और उनके विरूद्ध 01,79,344/–रू. वसूली के आदेश पारित कर दिये। वकील प्रार्थी का कहना है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया और इस प्रकार नैसर्गिक न्याय

सिद्धान्तों के विपरीत है जैसाकि 1984 आर आर डी 111 एवं 2007 आर आर टी वोल्यूम (2) 1146 में प्रतिपादित किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्णय पारित करने से पूर्व क्रेता व विक्रेता दोनों को सुना जाना था जो कि नहीं किया और इसी तरह 2002 आर आर टी 81 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व अन्य विनिर्णयों कीउ अवहेलना हुई है। वकील प्रार्थी का कहना है कि जब पटवार मण्डल ने स्वयं प्रश्नगत सम्पति का निरीक्षण कर पाया कि किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित नहीं है तो कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर को नियम 65 के अन्तर्गत स्वयं निरीक्षण करना चाहिये जो कि उन्होने नहीं किया और मात्र महालेखाकार राजस्थान की टिप्पणी के अनुसार उनके विरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

विभागीय प्रतिनिधि का कहना है कि वकील प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो कर अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ। अतः अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। उनका यह भी कहना है कि जब संस्थान के मेमोरण्डम आफ एसोशियेसन में कृषि प्रयोजन नहीं लिखा हुआ था ऐसे संस्थान को वाणिज्यिक माना जावेगा जैसाकि परिपत्र संख्या 1/2010 में लिखा है। उन्होने इस तर्क पर जोर दिया कि उप पंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेन्स सही है एवं राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 में अधिनस्थ अधिकारियों को इस बात का स्वतः अधिकार है कि जब कभी कोई त्रुटि उनके संज्ञान में आये तो वह उसका कलक्टर (मुद्रांक) को रेफरेन्स कर सकते है। अतः छः वर्ष बाद हुये रेफरेन्स में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। उन्होने इस बात पर जोर दिया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जब प्रार्थी उपस्थित हुये तो उन्होने वहां पर इस तथ्य को नहीं बताया कि उनके संस्थान का निरीक्षण पटवारी एवं सरपंच द्वारा किया गया है। अतः अब इस न्यायालय के समक्ष यह दलील नहीं दी जा सकती। उन्होने आग्रह किया कि प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी खारिज किया जाय।

अपने रिज्योइण्डर आरग्यूमेन्ट में वकील प्रार्थी का कहना है कि वर्ष 2011 के बाद अधिनस्थ न्यायालय ने क्या कार्यवाही की उसका कोई वर्णन नहीं मिलता है और अचानक से निर्णय पारित करने से उनके हक पर विपरीत प्रभाव पडा है। उन्होने बताया कि प्रार्थना पत्र निगरानी स्वीकार किया जाकर कलक्टर

(मुद्रांक) उदयपुर के प्रकरण संख्या 71/2011 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2012 को अपास्त किया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 30.07.2012 का अपीलाधीन आदेश साईक्लोस्टाईल आदेश है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अन्तिम प्रविष्ठि दिनांक 29.08.2011 की है जिसमें अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 21.09.2011 की लिखी हुई है परन्तु दिनांक 21.09.2011 को पत्रावली प्रस्तुत नहीं हुई है और अचनाक ही दिनांक 30.07.2012 को आदेश प्रसारित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त संस्थान के मेमोरण्डम आफ एसोशियेसन को देखने से संस्थान की निम्न गतिविधियां उजागर होती है–

–1. पर्यावरण की रक्षा हेतु लोगों में जन चेतना जागृत करने के लिये संगोष्ठियां समारोह, शिविर, सम्मेलन, नुक्कड नाटक आदि का संचालन करना।

–2. ग्रामीण कार्य क्षैत्र में पिछडे वर्गो एवं गरीब लोगों की खोज करना तथा इसके उत्थान केलिये दीर्घकालिक योजनाओं को बनाना एवं क्रियान्वयन करना।

–3. जिला स्तर पर पिछडे एवं गरीब लोगों के लिये शीक्षण, प्रशिक्षण आवासीय केन्द्रो की स्थापना करना।

–4. कुटीर एवं लघुउद्योगों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने में मदद करना इत्यादि।

संस्थान के मेमोरण्डम आफ एसोशियेसन स्पष्ट लिखा है कि इन उद्देश्यों कोई लाभ निहित नहीं होता है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रश्नगत सम्पति की फोटो भी है जिसमें मात्र नर्सरी का संचालन होना उजागर होता है। इसके अतिरिक्त पटवारी एवं सरपंच की रिपोर्ट के अनुसार भी संस्थान जनहित के कार्य में कार्यरत है।

उपरोक्त स्थिति में हम इस नतीजे पर पहूंचते है कि प्रश्नगत सम्पति का वाणिज्यिक उपयोग नहीं हो रहा है अपितु संस्थान अपने उद्देश्यों की पूर्ति केलिये कार्यरत है। अतः प्रार्थना पत्र निगरानी स्वीकार कर प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे नियमानुसार प्रश्नगत सम्पति का मौका निरीक्षण कर क्रेता व विक्रेता दोनों को सुन कर पुनः आदेश पारित करे।

निर्णय सुनाया गया।

(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष